राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांकः- एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मार्गदर्शिका/2019 जयपुर, दिनांक : 9 DEC 2021

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान।

विषयः- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना वार्षिक मास्टर परिपत्र 2020-21 के बिन्दु संख्या 4.3.3 में रोजगार हेतु पंजीकरण एवं आवेदन प्राप्त करने के माध्यमों यथा फार्म-6, आई.वी.आर.एस., कॉल सेन्टर, ऑनलाईन आवेदन एवं मौखिक आवेदन इत्यादि का उल्लेख है। इस बिन्दु में यह विशेष रूप से उल्लेखित है कि उक्त सभी माध्यमों से प्राप्त आवेदन रोजगार हेतु वैध (valid) माने जाएंगे, जिन पर रोजगार दिया जायेगा।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम वस्तुतः ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक नागरिक को काम प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराता है।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 7 (1) के **अनुसार "यदि स्कीम के अधीन नियोजन के लिए किसी आवेदक को नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति के या उस तारीख से जिसको किसी अग्रिम आवेदन की दशा में नियोजन चाहा गया है, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, पंद्रह दिन के भीतर ऐसा नियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह इस धारा के अनुसार एक दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा"।**

उक्त अधिनियम में विद्यमान संदर्भित धारा के अनुसार निम्न बिन्दु परिलक्षित होते हैं-

1. यदि किसी श्रमिक ने आवेदन में काम के लिए अवधि या तिथि का अंकन किया है, तो उस तिथि से 15 दिवस में उसे रोजगार दिया जाना आवश्यक होगा।

2. जहां इस प्रकार का अंकन नहीं है, वहां किसी आवेदक को नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति दिनांक के पंद्रह दिन के भीतर ऐसा नियोजन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

3. इस प्रकार नियोजन उपलब्ध न कराने पर वह श्रमिक दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।

सामान्य स्थिति में आवेदन के 15 दिवस में श्रमिक को नियोजन उपलब्ध कराया जाना है और यदि उसने पूर्व तिथि अंकित की हो, तो उस तिथि के 15 दिवस के भीतर उसे नियोजन उपलब्ध कराया जाये। यदि ऐसा नहीं होता तो "**इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो**", यह कहने का कोई औचित्य नहीं होता।

श्रमिक से आवेदन प्राप्त करने के उपरांत उनके लिए श्रम नियोजन की मांग करने का दायित्व ग्राम विकास अधिकारी तथा सरपंच दोनों का होगा और यदि इसमें विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त मांग के बावजूद काम पर नियोजन के लिए मस्टररोल जारी नहीं किया जाता है, तब उनका दायित्व बन जाता है। यदि आवेदन के समय आवेदन में कोई अपूर्णता हो, तो उसे रसीद देने के साथ उसे पूर्ण कराने का भी दायित्व ग्राम विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी/ सरपंच का होगा इसमें यदि उनके द्वारा शिथिलता बरती गई, तब भी अधिनियम की धारा के अनुसार उन्हें काम की मांग के 15 दिवस के भीतर काम पर नियोजन उपलब्ध कराया जाये।

काम मांगने वाले आवेदक को 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता एवं पखवाडा समाप्ति के 15 दिवस में भुगतान नहीं करने पर मुआवजा राशि का भुगतान करना सुनिश्चित किया जावें, साथ ही **दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी तय कर** वसूली की **कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावे।**

आवेदन के 15 दिवस के भीतर श्रम नियोजन उपलब्ध न कराने पर मूल दायित्व (योजना से जुड़े ग्राम पंचायत स्तरीय पदाधिकारी (Functionaries) यथा– सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, ग्राम रोजगार सहायक आदि) निर्धारित कर स्पष्टीकरण लिया जाये।

इस संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट–I/10 दिनांक 19.04.2011 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार बेरोजगारी भत्ता भुगतान हेतु प्रदत्त निर्देशों के अनुसार बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जावे तथा **दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी तय कर** वसूली की **कार्यवाही** नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(के. के. पाठक)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. समस्त।
6. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट–I/10 जयपुर, दिनांक : 19/4/2011.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बेरोजगारी भत्ता देने तथा पखवाडा समाप्ति के 15 दिवस में भुगतान किये जाने के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में प्रावधान है कि स्कीम के अधीन नियोजन के लिए किसी आवेदक को नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति के या उस तारीख से जिसको अग्रिम आवेदन की स्थिति में नियोजन चाहा गया है, (जो भी बाद में हो) 15 दिन के अन्दर रोजगार उपलब्ध नही कराने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जावें। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 3(3) में प्रावधान है कि दैनिक मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर अथवा किसी भी दशा में कार्य समाप्ति के 15 दिन में आवश्यक रूप से किया जावें। नियत समय में भुगतान नही किये जाने की स्थिति में अधिनियम की अनुसूची 2 के बिन्दु संख्या 30 के अनुसार मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के अनुसार मुआवजा दिया जावें।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में गठित रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में योजनान्तर्गत बेरोजगारी भत्ता देने एवं समय पर भुगतान की स्थिति की समीक्षा उपरान्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि काम मांगने वाले आवेदक को 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध नहीं करवाने पर बेरोजगारी भत्ता एवं पखवाडा समाप्ति के 15 दिवस में भुगतान नही करने पर मुआवजा राशि का भुगतान करना सुनिश्चित किया जावें, साथ ही दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावें।

बेरोजगारी भत्ते की दर के संबन्ध में विभाग द्वारा निर्देश पूर्व में दिनांक 14.06.2010 को एवं समय पर भुगतान नही किये जाने की स्थिति में मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के अनुसार मुआवजा दिये जाने की प्रक्रिया के संबन्ध में विभाग द्वारा निर्देश पूर्व में दिनांक 01.12.2010, 30.12.2010 एवं 24.02.2011 को जारी किये जा चुके है। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत राज्य सरकार के सामग्री मद के हिस्सा राशि से भुगतान कर वित्त विभाग से पुनर्भरण प्राप्त किया जायेगा। यह व्यवस्था वित्त विभाग के आई.डी. संख्या 101100953 दिनांक 17.03.2011 से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप जारी की जा रही है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय
19.4.11
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी।
5. निजी सचिव, सचिव मुख्यमंत्री जी।
6. संभागीय आयुक्त, समस्त।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जयपुर/जोधपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस